सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

फद अहकाम

शंकर लाल बनाम भगवान सहाय

18/2023 दावा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
29/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण व वादी/प्रतिवादी पक्षकारान ने उपस्थित होकर अपनी बहस में राजीनामे के आधार पर प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ अंतिम डिक्री पेश हुई। अतः यह न्यायालय वाके ग्राम पचार, पटवार हल्का पचार, भू-अभि० निरी० क्षेत्र कालवाड तहसील कालवाड व जिला जयपुर स्थित खाता नं० नया 62 पुराना 58 के खसरा नं० 1438 रकबा 0.0759 हैक्टे०, खसरा नं० 1439 रकबा 10.3953 हैक्टे० कुल किता 02 कुल रकबा 10.4712 हैक्टे० में वादी (शंकर लाल) को उपहार पत्र दिनांक 23.01.23 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करता है। तहसीलदार कालवाड को आदेशित किया जाता है कि वह उपहार पत्र दिनांक 23.01.23 के आधार पर प्रतिवादी सं० 1 (भगवान सहाय) के नाम के स्थान पर वादी (शंकर लाल) का नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त करे। प्रकरण में उक्त निर्णय अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी करने पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। अतः पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29/1/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। विस्तृत निर्णय	

सहायक कलक्टर जयपुर

फर्द अहकाम

शंकरलाल **बनाम** भगवान सहाय

नाम न्यायालय

केस संख्या 18/2023 धारा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (प्रथम)** मुकाम **जयपुर** व इजलास
श्रीमती देविका तोमर (आर.ए.एस.)

शंकर लाल पुत्र श्री साधूराम जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम अहीरों की कोठी ढाणी सरनाचौड तहसील कालवाड जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. भगवान सहाय पुत्र श्री साधूराम जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम अहीरों की कोठी ढाणी सरनाचौड तहसील कालवाड जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कालवाड जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
राज़स्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा 18/2023

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **श्रीमती देविका तोमर** व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि **राजस्व ग्राम पचार पटवार हल्का पचार भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालवाड तहसील कालवाड जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 62 पुराना 58 के खसरा नम्बर 1438 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1439 रकबा 10.3953 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 10.4712 हैक्टेयर में वादी (शंकर लाल) को उपहार पत्र दिनांक 23.01.2023 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करता है। तहसीलदार कालवाड को आदेशित किया जाता है कि वह उपहार पत्र दिनांक 23.01.2023 के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 (भगवान सहाय) के नाम के स्थान पर वादी (शंकर लाल) का नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करें।**

इस आशय की डिकी जारी की जाती है।

निज ....—........ मुबलिग ....—........ बाबत् ....—........
....

खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ....—........ फीसदी सालाना
आज की

तारीख से तारीख अदायगी तक ....—.. का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/1/25 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....[illegible]

ओहदा ....[illegible]

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये
स्टाम्प अर्जी दावा	00	00	स्टाम्प अर्जी दावा	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महन्ताना वकील	00
महन्ताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00
बाबत् इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफरिक	00
मुतफरिक	00	00		00
मीजान	00	00	मीजान	00

नोटः—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फीकेन का चाहे डिगरीके जरिये दिखाया हो।